तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-12-19	पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उपस्थित आदेश सुनाया गया अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है. विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

अपील संख्या 10/2018 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 14.08.2018 जनक सिंह (RAS)

बउनवान

1. रामहेत आत्मज फूलचन्द जाति मीणा निवासी शेरगंज तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– अपीलांट –

बनाम

1. लटूरी बैवा किशना जाति भील निवासी अन्घोरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी(राज.)
2. सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत सुमेरगंजमण्डी पंचायत समिति के. पाटन जिला बून्दी (राज.)
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– रेस्पोडेंट्स –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

उपस्थित :– श्री बालकिशन रायका एडवोकेट अपीलांट की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 13.12.2019

अपीलांट ने अपील अर्न्तगत धारा 75 एल.आर.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 15 की कुल किता 2 कुल रकबा 1.46 हैक्टर वाके ग्राम अन्घोरा पटवार हल्का सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि में रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लटूरी का 1/4 हिस्सा निहित है। लटूरी ने उक्त कृषि भूमि में निहित अपने हिस्से 1/4 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 24.07.2015 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि अपीलांट रामहेत को बेचान कर दी गई और कब्जा सम्भला दिया गया। उक्त विकय पत्र के आधार पर पटवार हल्का पटवारी ने कृषि भूमि में निहित 1/4 हिस्से का नामान्तकरण अपीलांट के नाम दर्ज कर स्वीकृति हेतु सरपंच ग्राम पंचायत सुमेरगंजमण्डी के समक्ष पेश करने पर सरपंच ने उक्त नामान्तकरण जानकारी के अभाव में स्वीकार नही कर दिनांक 05.10.2015 को अस्वीकार कर दिया। उक्त भूमि में अपीलांट ने रेस्पोडेंट्स संख्या 1 लटूरी का हिस्सा 1/4 कय कर काबिज हो गया। ग्राम पंचायत ने बिना किसी आधार के यह लिख दिया गया कि जानकारी के अभाव में नामान्तकरण स्वीकार नही है जबकि सम्पूर्ण जानकारी एवं जांच पूर्व में ही पटवारी हल्का, आई.एल.आर द्वारा की जा चुकी थी। फिर भी उक्त नामान्तकरण स्वीकार नही किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत अपीलांट से व्यक्तिगत रंजीश के चलते व अन्य दीगर कारणों से नामान्तकरण स्वीकार नही किया गया। जो न्यायोचित नही है और निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को भी नही सुना गया। जो प्राकृतिक न्याय के

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

सिद्धान्तों के विरूद्व है। और अन्त में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमाई जावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेट्स संख्या 1 की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया न ही रेस्पोडेट्स संख्या 2 सरपंच/सचिव द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत किया गया।

हमारे द्वारा अपीलांट के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिया गया कि नामान्तकरण संख्या 483 दिनांक 05.10.2015 के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सुमेरगंमण्डी द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच नही की गई और अपीलांट को भी नही सुना गया। दिनांक 23.01.2017 को उक्त नामान्तकरण की ज़ानकारी होने पर नामान्तकरण की नकल दिनांक 07.02.2017 को प्राप्त होने पर अपील अन्दर अवधि पेश की है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में RRD 2006 पेज नं0 74, RRD 2003 पेज नं0 276, RRD 1988 पेज नं0 62, RRD 1998 पेज नं0 319 पेश किये। और अन्त में निवेदन किया गया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

हमारे द्वारा अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपील विषयक आराजी में रेस्पोडेट्स संख्या 1 का हिस्सा 1/4 था। और लटूरी ने उसका हिस्सा दिनांक 24.07.2015 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अपीलांट को बेचान कर दिया गया था। लटूरी द्वारा विक्रय किये जाने पर अपील विषयक आराजी पर उसका कोई हित निहित नही होने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा कोई विधिवत निर्णय नही दिया गया। और न ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलांट आशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तकरण 483 05.10.2015 को अपास्त किया जाता है। तथा उभय पक्षों को विधिवत रूप से नोटिस जारी करते हुये सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः अपील विषयक आराजी के सम्बन्ध में नामान्तकरण की जांच कर पुनः विधिवत रूप से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.12.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner